पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 29 फाल्गुन, 1936 (श०) / 20 मार्च, 2015 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) स्वास्थ्य विभाग	02
(2) योजना एवं विकास विभाग	01
कुल योग —	03

पेंशन स्वीकृत करना

10. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "विकलांग व्यवस्था से 23.55 लाख नि:शक्त बेहाल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने अभीतक 23.55 लाख नि:शक्तजनों में से मात्र 10.12 लाख को ही प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 8.31 लाख नि:शक्तजनों को ही पेंशन स्वीकृत की है जिससे सरकारी पेंशन लाभ से 15.24 लाख नि:शक्त वंचित हैं, जबकि 54 प्रतिशत नि:शक्त सहायक उपकरण से वंचित हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बचे हुये नि:शक्तजनों को सरकारी पेंशन स्वीकृति एवं सहायक उपकरण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गुणवत्ता की जाँच करना

11. श्री नितिन नवीन--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार में दिनांक 5 फरवरी, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "क्वालिटी जाँच के इंतजार में सड़ रही 11 करोड़ की दवा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम (बी0एम0एस0आई0सी0एल0) के गोदामों में 23.2 करोड़ की दवायें बची है जिनमें 121 तरह की करीब 11.4 करोड़ की ऐसी दवाएँ हैं जिनकी गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट अभीतक अनुपलब्ध है जिससे अस्पतालों में दवाई सप्लाई प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दवाओं की सप्लाई तभी हो सकेगी जब इनकी क्वालिटी जाँच रिपोर्ट सही हो ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खंड (1) में वर्णित गुणवत्ता जाँच एवं वितरण कबतक कराने का विचार रखती है ?

राशि सरेंडर कराने का औचित्य

12. श्री मंजीत कुमार--दिनांक 30 जनवरी, 2015 के दैनिक समाचार-पत्र में छपे शीर्षक "सरेंडर किये गये 2,615 करोड़ रु0" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मंत्रिमंडल सचिवालय 10 करोड़, साइंस टेक्नोलॉजी 35 करोड़, कृषि विभाग 33.72 करोड़, शिक्षा विभाग 21.54 करोड़, भवन निर्माण विभाग 75 करोड़, योजना विभाग 306 करोड़, उद्योग विभाग 40 करोड़, पी0एच0ई0डी0 18 करोड़, राजस्व एवं भूमि सुधार 90.74 करोड़, पंचायती राज 177 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति 180 करोड़ कुल 2,615.74 करोड़ रु0 योजना मद में खर्च नहीं होने के कारण माह जनवरी में ही योजना बजट की राशि सरेंडर कर दी गयी, जिससे उपरोक्त विभागों की योजनायें अपूर्ण रह गई, जिससे विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो समय से पूर्व राशि सरेंडर कराने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्ष 2014-15 में अनुमोदित योजना उद्व्यय 55,099.00 करोड़ रु0 है । विभिन्न विभागों की आवश्यकता एवं माँग के आधार पर 13,041.44 करोड़ रु0 का अतिरिक्त उद्व्यय दिया गया। विभागों की प्रगति एवं आवश्यकता की समीक्षोपरांत 17 विभागों द्वारा 1,458.42 करोड़ रु0 प्रत्यार्पित किया गया जिसमें कृषि (337.27 करोड़ रु0), भवन निर्माण (75 करोड़ रु0), मंत्रिमंडल सचिवालय (10 करोड़ रु0), सहकारिता (3.86 करोड़ रु0), आपदा प्रबंधन (10 करोड़ रु0), शिक्षा (215.41 करोड़ रु0), वित्त (80 करोड़ रु0), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (180.35 करोड़ रु0), उद्योग (40 करोड़ रु0), सूचना एवं जन-सम्पर्क (30 करोड़ रु0), श्रम संसाधन (0.58 करोड़ रु0), विधि (6.14 करोड़ रु0), पंचायती राज (177.25 करोड़ रु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (18 करोड़ रु0), योजना एवं विकास (219.64 करोड़ रु0), राजस्व एवं भूमि सुधार (20 करोड़ रु0) एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी (35 करोड़ रु0) द्वारा उद्व्यय प्रत्यार्पण किया गया ।

वित्त विभाग द्वारा संसाधन की समीक्षा के उपरांत 51,565.09 करोड़ रु0 का संशोधित संसाधन अनुमानित किया गया है। अतः राज्य का पुनरीक्षित योजना उद्व्यय 51,565.09 करोड़ रु0 निर्धारित किया गया है। योजना उद्व्यय के पुनरीक्षण से विकास कार्य बाधित नहीं है। दिनांक 11 मार्च, 2015 तक का व्यय 41,768.45 करोड़ रु0 है जो कुल पुनरीक्षित उद्व्यय का 81 प्रतिशत है ।

(2) यथा खण्ड (1) का उत्तर।

पटना :
दिनांक 20 मार्च, 2015 (ई0)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 160-डी0टी0पी0-450